**संख्या-654/2023/4167/41-2023-136-Budget-2023**

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ०प्र०
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ: दिनांक 26 सितम्बर, 2023

विषयः जनपद अयोध्या के रामकथा पार्क में नवीन पर्यटक आवास गृह का निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति निरस्त किये जाने सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-3493/6-1-1(06)/2023-24, दिनांक 19.08.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद अयोध्या स्थित रामकथा पार्क में नवीन पर्यटक आवास गृह का निर्माण कार्य हेतु पूर्व शासनादेश दिनांक 28.03.2023 एवं दिनांक 09.05.2023 को निरस्त करते हुए प्रायोजना हेतु संशोधित धनराशि रू0 2674.101 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु पर्यटन अनुभाग के शासनादेश सं०-271/2023/आई/294717/001-41-1002-001-50-2023-136-Budget-2023,दिनांक8.03.2023 द्वारा रू0 821.74 लाख जी०एस०टी० (वास्तविक भुगतान के आधार पर अनुमन्य) की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 05.00 लाख तथा शासनादेश सं०- 393/2023/2251/41-2023-136-Budget-2023, दिनांक 09.05.2023 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 405.00 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 410.00 लाख अवमुक्त की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपसे प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में जनपद अयोध्या स्थित रामकथा पार्क में नवीन पर्यटक आवास गृह का निर्माण कार्य हेतु पूर्व निर्गत पर्यटन अनुभाग के शासनादेश सं0-271/2023/आई/294717/001-41-1002-001-50-2023-136-Budget-2023, दिनांक 28.03.2023 तथा शासनादेश सं0-393/2023/2251/41-2023-136-Budget-2023, दिनांक 09.05.2023 को इस शर्त के साथ निरस्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती हैं कि प्रश्नगत प्रायोजना पर निर्गत कुल धनराशि रू0 410.00 लाख (रूचार करोड़ दस लाख मात्र) को राजकोष में जमा कराते हुए उसकी प्रमाणित प्रति शासन को उपलब्ध कराया जाए।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

**संख्या एवं दिनांक तदैव**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, उ०प्र० शासन।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी, अयोध्या।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ ।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अयोध्या।
8. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9. उप निदेशक (राज्य योजना), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक-4, 5, 6, 7, 8, 10 व 11 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
10. परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ ।
11. उप निदेशक, पर्यटन, अयोध्या मण्डल, अयोध्या
12. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
13. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।